राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःस्थाई भण्डार/फोटोस्टेट/2013/248 दिनांक : 27.8.13

प्रभारी, सर्वर रूम
मुख्यालय।

विषयः निविदा सूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर (स्वास्थ्य भवन) मुख्यालय पर वर्ष 2013–14 हेतु संविदा पर फोटोस्टेट कार्य बाबत् निविदा सूचना जारी की गई हैं जिन्हें कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने का श्रम करें।

संलग्न : निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र/
निविदा की शर्ते

भण्डार अधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

D:\Store J 26.06 13\Tender Files 2013-14\Photostate tender.doc

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:स्थाई भण्डार/फोटोस्टेट/2013/247 दिनांक : 27.8.13

<u>निविदा सूचना संख्या 1/2013–14</u>

1. निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए संविदा पर फोटोस्टेट मशीन सहित फोटोस्टेट कार्य कराने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
2. सम्पूर्ण वर्ष के लिए अनुमानित कार्य राशि 15.00 लाख रूपये है।
3. निविदाएं निर्धारित फार्म में प्रस्तुत करनी होगी जो कि निविदा प्रकाशन दिनांक से 07.10.2013 को मध्यान्ह 12 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में 400/– रूपये जमा कराकर प्रभारी अधिकारी, भण्डार अनुभाग (मुख्यालय) से प्राप्त की जा सकती है।
4. पूर्ण निविदा मोहरबंद लिफाफे पर संविदा पर फोटोस्टेट कार्य अंकित कर भण्डार अधिकारी, भण्डार अनुभाग (मुख्यालय) के पास दिनांक 08.10.2013 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। निविदा के साथ अमानत राशि 30000/– रूपये (तीस हजार रूपये) जमा रसीद या निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पक्ष में डी.डी. के रूप से धरोहर राशि जमा करानी होगी, इसके अभाव में निविदा स्वीकार नही की जाएगी।
5. निविदा का पूर्ण विवरण निविदा दस्तावेज में अंकित है, जिसके इस निदेशालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी निदेशक (जन स्वास्थ्य) को होगा।
7. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं को दिनांक 08.10.2013 दोपहर 2.00 बजे गठित कमेटी के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।
8. निर्धारित समय पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जाएगा।
9. निदेशालय के नोटिस बोर्ड पर निविदा फार्म एवं शर्ते चस्पा की हुई है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर
(स्वास्थ्य भवन)

निविदा प्रपत्र

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संविदा आधार पर फोटो स्टेट कार्य के लिए निविदा
2. निविदा दाता का नाम एवं पत्राचार का स्थाई पता...
....
3. निविदा सूचना सख्या:– क्रमांक : स्थायी भण्डार/फोटोस्टेट/2013/.......... दिनांक:.................
4. निमित–निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,जयपुर।
5. निविदा फार्म शुल्क राशि
   रू. 400/– (अक्षरे चार सौ रूपये मात्र) नकद रसीद/डीडी संख्या दिनांक:.............
   द्वारा जमा कराई जा चुकी है।
6. अमानत राशि रूपये 30000/– बैक ड्राफ्ट संख्या /विभागीय रसीद संख्या दिनांक:...... संलग्न है।
7. निविदा में दी गई दरों की वैधता की अवधि दिनांक तक मान्य है।
8. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई उपर्युक्त वर्णित निविदा सूचना एवं निविदा सूचना के क्रम में प्रसारित भार्तो जो निविदा के साथ संलग्न है, उनसे हम पूर्णतया सहमत है। हमारी स्वीकृति बतौर हमने शर्तो संबंधी सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।
9. फोटो स्टेट कार्य के लिए हमारी दरें वित्तिय बिड के लिफाफें में प्रेषित है।
10. निविदा के अर्न्तगत वांछित दस्तावेज/दस्तावेजो की सत्यापित फोटो प्रतियां संलग्न है।

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम
फर्म की मोहर
पता दूरभाष नम्बर

PHOTOCOPY WORKS AT DMHS (PH) PART – A TECHNICAL BID

Two Bids in separate sealed envelops for Part- A Technical & Part – B Financial Bids, should be filled and duly marked **"Technical/Financial Bid for Photocopying works"** and submitted as per schedule given below :-

1	Tendering Authority & Address	Director (PH) Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur Swasthya Bhawan, C-Scheme, Tilak Marg, Jaipur.		
2	Telephone	0141-2225624		
3		Date	Time	Place
	A. Tender form can be obtained upto	07.10.2013	12.00 pm	DM&HS, Raj. Jaipur Room No. B-11
	B. Tender form can be submitted upto	08.10.2013	12.00 pm	
4	Opening of Tender for :-			
	Technical Bids	08.10.2013	2.00 pm	

The tender (Technical & Financial Bids) should be delivered personally according to the schedule given above. Tenders will be short listed on the basis of Technical Bids. Financial bids shall be opened of only those tenderers who qualify in the Technical Bids.

Date :

Signature of Issuing Authority

Signature of Tenderer

D:\Store J 26.06.13\Tender Files 2013-14\Photostate tender.doc

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR
TENDER FORM FOR TECHNICAL BID

Tender for Photo Copying works

1. Name & Postal address of the	**M/s** ____________________
firm submitting the tender	____________________
2. Telephone Numbers	____________________
a) Registered Office	____________________
	__________
b) Head Office	____________________
	__________
c) Jaipur Office	____________________
	__________
d) Local Service centre	____________________
	__________
e) Other	____________________

3. Address to **Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur**

4. Reference Tender No. ....

5. The tender fee amounting to Rs. 400/- has been deposited vide cash receipt/ crossed postal order/Demand Draft Number____________ dated _______ payable to Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.

6. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number .... issued by the Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).

7. Photo state Machines will be installed within 10 days from the date of issue of order

8. The rates quoted above are valid for one year from the date of the opening of the tender. The period can be extended with mutual agreement.

Signature of Tenderer

9. Details of earnest money is as under :

S. No.	Name of articles tendered	Total estimated cost	Earnest money	DD/Challan/Cash receipt no. & Date	Name of Bank
1	Photocopying Works	15.00 Lacs	30.000.00		

10. The availability of No. of Photo state Machines as on 1.4.2013 give detail. Make, Model

11. Technical Evaluation schedule is enclosed at annexure "A".

12. Terms and Conditions are enclosed at annexure "B"

Signature of Tenderer

Encl.: Terms & Conditions

Annexure-'A'

SCHEDULE

Technical Evaluation Criteria for the Annual Contract for Photocopying work

क.सं.	विवरण	वर्ष / मैक / संख्या आदि	निर्धारित अंक
1.	मशीन निर्माण का वर्ष (प्रमाण संलग्न करे)	2009	10
		2008	8
		2007	6
2.	मशीन का मेक (प्रमाण संलग्न करें)	कैनन / मोदी / रीको	10
		अन्य	3
3.(अ)	मशीनों की संख्या, जो कार्यालय में अस्थाई रूप से लगाई जा रही है	2	10
		1	8
(ब)	बिन्दू संख्या 3 के अनुसार फोटो कार्य प्रतिदिन की क्षमता	2000 प्रति. प्रतिदिन	10
		800 प्रति. प्रतिदिन	8
		800 प्रति से कम	3
4.	ऑपरेटर की संख्या (प्रमाण संलग्न करें) तथा	2	10
		1	3
5.	राजकीय अवकाशों में तथा कार्यालय समय पूर्व / पश्चात की व्यवस्था	हॉं	5
		नहीं	शून्य
6.	कार्यरत मशीन के खराब होने की स्थिति में स्टेण्डबाय की व्यवस्था	हॉं	5
7.	कार्यालय में होते वाली मशीनों के रख रखाव (मैन्टीनेन्स) की व्यवस्था (ए.एम.सी. या अन्य) (प्रमाण संलग्न करें)		
(अ)	स्वयं की व्यवस्था पर (ए.एम.सी.)	हॉं	5
		नहीं	शून्य
(ब)	अन्य व्यवस्था (प्रमाण संलग्न करें)	हॉं	5
		नहीं	शून्य
8.	फोटोस्टेट कार्य हेतु लाया जाने वाला कागज ए-4 एवं फुल साईज हेतु	टीएनपीएल / जेके / मोदी (70 जीएसएम)	10
		अन्य (70 जीएसएम)	3
9.	गत वर्षो का अनुभव (प्रमाण संलग्न करें) (1) सरकारी कार्यालयों में	एक वर्ष	2
		एक वर्ष से अधिक	5
	(2)	एक वर्ष	2
		एक वर्ष से अधिक	5

हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम
फर्म की मोहर
पता व दूरभाष नं.

संविदा आधार पर फोटो स्टेट कार्य के लिये निविदा की विशिष्ठ शर्ते

नोट :– निविदाकार इस शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं समझ लें। यदि किन्हीं शर्तों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस की जायें तो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व विभाग से लिखित में समुचित स्पष्टीकरण जारी किये जाने का अनुरोध करें निविदा प्राप्ति के बाद किसी भी शर्त पर निदेश (जन स्वास्थ्य) का निर्णय अन्तिम होगा एवं वह निर्णय निविदाकार को मान्य होगा।

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में जो विभाग से जारी की गई है या कि विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड की गयी है, में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द की जाकर निर्धारित समय तक प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।
2. निविदा प्रस्ततु किये जाने के बाद फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबन्धकर्ता विभाग अधिकारी को लिखित में देगा तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।
3. निविदा मे किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिये। यदि कोई कटिंग हो तो उस पर हस्ताक्षर करके सही किया जाना चाहिये।
4. निविदा प्रपत्र दो भागों में है। प्रथम भाग तकनीकी बिड एवं द्वितीय भाग वित्तीय बिड हैं। निविदाकार तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड को अलग–अलग लिफाफों में सील बन्द करें तथा इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद करके निविदा प्रस्तुत की जाये। सभी लिफाफों पर निविदा का नाम, खोलने की तिथि, समय, निविदाकार का नाम व पूर्ण पता अवश्य अंकित किया जावे। कृपया ध्यान रखा जावे कि तकनीकी बिड के लिफाफे में यदि वित्तीय दरें आदि किसी भी कारण दृष्टिगत होती हैं तो ऐसी निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

5. तकनीकी निविदा में निम्न शामिल हैं–

(i) यथा निर्धारित रूप में पूर्व धरोहर राशि (Earnest Money)

(ii) निविदा शर्तें की स्वीकारोक्ति के रूप में निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर सहित निविदा प्रपत्र।

(iii) निविदादाता द्वारा घोषणा पत्र (एस0आर0 11)

(iv) बिक्रीकर/सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र (विधि के अन्तर्गत यदि आवश्यक हो)।

(v) उपलब्ध फोटो स्टेट मशीनों का विवरण।

नोट– जिन निविदाकारों की तकनीकी निविदा सारवान (Substantial and responsive) पायी जावेगी, उन्हीं की वित्तीय निविदा खोली जावेंगी।

6. वित्तीय निविदा – यह निर्धारित प्रारूप में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों का विवरण हैं। दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जानी चाहिये। वित्तीय निविदा में निविदाकार के दिनांक सहित पूरे हस्ताक्षर होने चाहिये। इसमें दों के विवरण के अलावा अन्य कोई दस्तावेज नहीं रखा जावेगा। इस निविदा में किसी निविदाकार द्वारा कोई अतिरिक्त शर्तें अंकित कर दी जाती है तो उन्हें मान्य नहीं किया जावेगा।

7. निविदा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो पर दी जानी है। सामान्यतया अतिरिक्त शर्तों/प्रतिशर्तों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। फिर भी, यदि कोई अतिरिक्त/प्रतिशर्त विभागीय हित में देखी जाती है तो उस पर विचार किया जा सकता हैं।

8. दरें कागज एवं समस्त प्रकार के खर्चों सहित होगी। अनुबन्ध की अवधि के दौरान दरें स्थिर रहेगी।

9. कागज के एक तरफ फोटोकॉपी करने एवं दोनों तरफ फोटो कॉपी करने हेतु दरें पृथक–पृथक होनी चाहिये दी गयी दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कर आदि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

10. फोटोकॉपियों हेतु (70 GSM) का उत्कृष्ट कागज ही प्रयोग किया जावेगा। अन्य कागज काम में लिये जाने पर दरों में अनुपातिक कटौती करने हेतु विभाग अधिकृत होगा। फोटो स्टेट हेतु उपयोग में लिए जाने वाले कागज का नमूना (साइज 215x342mm साइज 210x297mm A-4) तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा।

11. निविदा के साथ यदि जानबूझ कर कोई गलत सूचना दी जाती है तो ऐसी गलत सूचना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। ऐसी निविदा को निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा किसी भी स्तर व समय पर सुनवाई का अवसर देकर निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिये विभाग द्वारा किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जावेगा। साथ ही प्रवर्त्त विधि के अन्तर्गत ऐसे निविदाकार के विरूद्ध अन्य समुचित कार्यवाही भी की जावेगी।

12. निविदा स्वीकृत होने की दशा में विभाग के साथ निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।

13. फोटो कापियां सही एवं स्वच्छ होने पर ही निविदादाता को मासिक रूप से भुगतान किया जावेगा। माह की समाप्ति पर फर्म/निविदादाता बिल तीन प्रतियों में निदेशक (जन स्वास्थ्य) को प्रस्तुत करेगा।

14. निविदा स्वीकृति के पश्चात यदि निविदादाता निर्धारित समय में फोटोकॉपियां उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उसकी प्रतिभूति राशि पूर्ण/आंशिक रूप से जब्त कर ली जावेगी। अनुबंधकर्ता को फोटोकॉपी सेवायें सामन्यतः प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक प्रदान करनी होगी। इमरजेन्सी में अतिरिक्त समय में भी सेवायें देना आवश्यक होगा।

15. वांछित समय पर फोटोकापियां उपलब्ध नहीं करायें जाने की दशा में निदेशक (जन स्वास्थ्य) के अधिकृत प्रतिनिधि अन्य फर्मों की सेवाऐं ले सकते हैं जो कि निविदादाता के खर्चे एवं जोखिम पर होगा एवं अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली निविदादाता के बिलों/ प्रतिभूति राशि से करने हेतु विभाग अधिकृत होगा।

16. निविदादाता द्वारा दी जाने वाली सेवायें निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुसार संजोषजनक होनी चाहिए।

17. संविदा की अवधि संविदा किये जाने की तिथि से एक वर्ष की होगी। अनुबन्धकर्ता की सेवायें संतोषप्रद होने पर अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती हैं।

18. अनुबन्ध अवधि के दौरान सेवायं असंतोषप्रद रहने की दशा में विभाग द्वारा एक माह का नोटिस दिया जाकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विभाग पर पड़ने वाले वित्तीय भार का निविदा दाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि से पुर्नभुगतान किया जावेगा।

19. फोटो स्टेट मशीनों की स्थापना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, निदेशालय (स्वास्थ्य भवन), में विभाग द्वारा निर्धारित स्थान पर की जावेगी। मशीनों का विद्युत व्यय विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

20. निविदादाता को एक पंजिका का संधारण करना होगा जिसमें प्रत्येक दिन की गई फोटो प्रतियों का इंद्राज होगा जिस पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर होंगें एवं अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित कराया जाना आवश्यक होगा।

21. निविदादाता किसी भी पत्र/पत्रादि की अतिरिक्त प्रति नहीं निकालेगा न ही अपने पास रखेगा। इस शर्त की पालना के प्रभाव में अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार विभाग को होगा।

22. निविदादाता को फोटो स्टेट की नई मशीनें विभाग में लगानी होगी।

23. निदेशक (जन स्वास्थ्य) को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे तथा उक्त के कारण किसी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्वों से विभाग का कोई सरोकर नहीं होगा।

24. संविदा अवधि में संविदा के दोनों पक्षों निविदादाता व निदेशक (जन स्वास्थ्य) के मध्य यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनीत व्यक्ति मध्यस्थता करेंगें। मध्यस्थता वार्ता. में दोनों पक्ष अपना एक–एक प्रतिनिधि भेज सकेगें। मध्यस्थता में दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

25. किसी भी कानूनी विवाद के लिए जयपुर स्थित कार्यालय/न्यायालयों में ही विवाद प्रस्तुत किया जा सकता हैं।

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

फर्म की मोहर

Annexure-B

Terms and Conditions

1. दरें प्रति फोटोकापी के हिसाब से अलग–अलग साईज की प्रस्तुत करनी होगी।
2. प्रस्तुत दरों में सभी प्रकार का व्यय (सामग्री तथा टोनर, कागज इत्यादि) सम्मिलित होगा। किसी अन्य प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।
3. फर्म की कोई शर्त मान्य नहीं होगी एवं नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी।
4. भुगतान प्रतिमाह बिल प्रस्तुत करने पर देय होगा। किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
5. आयुक्तालय के अधिकृत अधिकारी द्वारा इण्डेंड के अनुसार उसी, समय फोटोकॉपी कार्य कर उपलब्ध कराना होगा।
6. महत्वपूर्ण एवं गोपीय दस्तावेजों की फोटोस्टेट सम्बन्धित कर्मचारी को साथ ही करके देनी होगी।
7. फोटोस्टेट का कार्य सामन्यतया कार्यालय समय पर ही कराया जावेगा, किन्तु विशेष परिस्थितियां राजकीय कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्यालय समय से पूर्व/बाद मे तथा राजकीय अवकाशों के दिवस में भी फोटोस्टेट कार्य कर उपलब्ध कराना होगा।
8. कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने पर भुगतान में कटौती या अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा। इसके लिए कोई लिखित नोटिस/सूचना देनी आवश्यक नहीं होगी।
9. कार्यालय द्वारा केवल स्थान व बिजली उपलब्ध कराई जावेगी।
10. फोटोस्टेट पेपर 70 जीएसएम अथवा इसके समकक्ष उपयोग में लेना होगा।
11. फोटोस्टेट मशीन में Enlargements/Reduction की सुविधा होना अनिवार्य हैं।
12. कार्यालय में निजी फोटोकापी कार्य संधारित नहीं किया जावेगा।
13. फर्म को भुगतान हेतु बिल प्रतिमाह तीन प्रति में प्रस्तुत करने होगें।
14. हरा कार्यालय की अन्य शर्ते निविदा संख्या 4/06–07 दिनांक 7.9.06 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग द्वितीय नियम 68 के संविदा प्रारूप की शर्तों के अनुसार होगी।
15. छाया प्रतिलिपी में दाग–धब्बे नहीं होने चाहिए अन्यथा खराब प्रति निकालने पर कोई राशि देय नहीं होगी।
16. मशीन के खराब एवं स्टेण्डबायय नहीं होने की स्थिति में बाजार से किये जाने वाले फोटो कार्य पर हाने वाले व्यय एवं आने जाने के किराये का भुगतान फर्म द्वारा वहन करना होगा।
17. अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये इण्डेंड के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा तथा इस बाबत फर्म द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपकनुसार एक रजिस्टर का संधारण करना होगा।
18. कागज के दोनों तरफ फोटो कार्य बाबत इण्डेंड में स्पष्ट उल्लेख होनं पर ही भुगतान देय होगा अन्यथा एक तरफ की दर ही भुगतान हेतु मान्य होगी।
19. फर्म की फोटो कार्यकी क्षमता प्रतिदिन कम से कम 2000 प्रतियों की होगी, जिसमें बढ़ोतरी अथवा कमी हो सकती हैं।
20. निविदादाता को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हैं।

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी :– निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।

2. वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएँ:– निविदाएँ मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस. आर. प्रारूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

3. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।

   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. बिक्री कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण पत्र:– कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणित्जिक कर अधिकारी से बिक्री कर चूकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

5. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पेन्सिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनो एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

6. हर शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनाँक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों मे राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करो की राशि को पृथक से दिखानी चाहिए।

7. दरें गतंव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्वत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आानुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु चुगी, केन्द्रीय / राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाड़े (कॉटेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल० की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के

उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए है तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करो को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।

8. (i) दरों की तुलनाः– राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों , जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं है, द्वारा निविदत्त जाएगा। जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जायेगा।

(ii) राजस्थान के भीतर की फर्मों के सम्बन्ध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

9. मूल्य अधिमानः– (मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों के अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार दिया जाएगा।

10. विधिमान्यताः– निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।

11. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई भी सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

13. विनिर्देशः–

(i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, वहाँ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर मार्क होना चाहिए।

(ii) तार चिह्न से अंकित/क्रम संख्या ....पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रीयों के मामले में, जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हो, वहाँ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा क्या नमूनो, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(iii) वांरटी/गांरटी खण्डः– निविदादाता यह गांरटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से ....दिनों /माहों कि उक्त अवधि में उक्त मालो/सामानों/वस्तुओं का निरिक्षण कर लिया है एवं /या उन्हें अनुमोदित कर दिया है यदि ....दिनों /माहों कि उक्त अवधि में उक्त मालो/सामानो/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस सम्बन्ध मे क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालो/सामानो/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रदद् किये जाने वाले मालो/सामानो/वस्तुओं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद् करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए

तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद् किया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध मे क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(iv) मशीनों और उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (3) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों, यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाए कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

(v) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाए, वार्षिक रखरखाव (मेंटीनेन्स) एवं मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ठ प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिए भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथ उत्तरदायी होगा। मॉडल मे परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

14. निरिक्षणः–

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयो पर प्रदायकर्ता के परिसर मे जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयो पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्क्शाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उसे प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए है, अपने बैकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15. नमूने:– अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाये तो कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जायेगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/ आर या जी.आर. एक पृथक रजिसटर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थों के नमूने प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैलों में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए

16. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाऐंगे।

17. अनुमादित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जाँच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट–फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

निर्धारित अवधि कि समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापिस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

18. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है, उनमें परीक्षण , जाँच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट–फूट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिये जायेंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा।

19. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमादित नमूनों के अनुरूप हैं। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों मे कराया जाएगा तथा जहाँ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

20. नमूने निकालना:– परीक्षणों के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/ या परीक्षण गृहो में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

21. परीक्षण प्रभार:– परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जाएगें। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

22. रदद् करना:–

(i) निरीक्षण या परिक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित की जायेगीं उन्हें रदद् किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

23. रदद् की गयी वस्तुओं निविदादाता उन्हें रदद् करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ताकि तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मधे हुए उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

24. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थान पर माले प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, रिसाव, टूट–फूट या लिकेज किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रीयों की जाँच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी ह्रानि या कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

25. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टी के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

26. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या उप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

27. (i) सुपुर्दगी अवधि :– निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए, निदेशालय, द्वारा प्रदाय आदेश करनेकी तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा–

क्रम संख्या	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

(ii) मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना :– यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेगे, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक के प्रदाय के लिए ही होगें तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता हैं या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति या क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

28. बयाना राशि (अनेस्ट मनी) :– (क) निविदा के साथ 30,000/–रू. (रूपये तीस हजार मात्र) की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नही किया जाएगा। यह राशि प्रस्तुत निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–

(i) नकद – शीर्ष " 8.43 – सिविल निक्षेप– 103 प्रतिभूति निक्षेप " के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान में जमा कराया जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक।

29. बयाना राशि का प्रतिदाय :– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा की अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(क) बयाना राशि से आंशिक छूट :– उन फर्मों को जो निदेशक, उधोग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटोप्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य ½ प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(ख) केन्द्र सरकार एवं राजसीान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।

(ग) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धंन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पूर्ण आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

30. बयाना राशि का समपहरण :–बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा:–

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता हैं या उसमें रूपान्तरण करता हैं।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहिप किसी करार को, यदि कोई हों, निष्पादित नहीं करता हैं।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हैं।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता हैं।

31. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :– (i) सफल निविदादाताओं के आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूत जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी हैं, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं की होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्यांज का भुगतान नही किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगे :–

(क) नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / चालान की रसीद प्रति।

(ख) डाकघर बचत ब।क पासबुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट / विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्ड़र वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता हैं तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निदेशक, उधोग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मो को उन फर्मों को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उधोग से पंजीयन प्रमाण–पत्र मूल रूप में या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने पर, बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगे।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का सापहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृतकरने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टांम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क दी जायेगी।

32. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो तो प्रदायकर्ता के बिल में उस भाडे के 5 प्रतिशत कि दर से विभागीय प्रभारो की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर.आर. केवल पैक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगें।

33. (i) बीमा :– सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएगें। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़ मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे– युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

34. (i) भुगतान :– दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुडस ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठाकिंत और निविदादाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगें।

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हो।

35. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानी :– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं :–

(1) (क) विहिप सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2 ½ %

(ख) एक चौथाई अवधि से अवधि किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 %

(ग) आधी अवधि से अवधि किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7 ½ %

(घ) विहिप अवधि की तीन चौथाई से अंधिक के विलम्ब के लिए 10 %

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उस समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हैं हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

36. वसूलिया :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

37. यदि निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

38. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता हैं जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोघ में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

39. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म / प्रदायकर्ता से अधिक सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

40. निविदादाता करार का निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा :–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

41. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आबिट्रेटर) के रूप मे अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबंद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

42. समस्त विधिक कार्यवाहियॉं, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही की जायेगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूं/करते है कि मैंने/हमने जिन सामग्री/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैलिग/विपण एजेण्ट हूं/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय नाम मोहर
दूरभाष सं.

PHOTOCOPY WORKS AT DMHS (PH)
PART – B FINANCIAL BID

Two Bids in separate sealed envelops for Part- A Technical & Part – B Financial Bids, should be filled and duly marked **"Technical/Financial Bid for Photocopying works"** and submitted as per schedule given below :-

1	Tendering Authority & Address	Director (PH) Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur Swasthya Bhawan, C-Scheme, Tilak Marg, Jaipur.		
2	Telephone	0141-2225624		
3		Date	Time	Place
	A. Tender form can be obtained upto	07.10.2013	12.00 pm	DM&HS, Raj. Jaipur Room No. B-11
	B. Tender form can be submitted upto	08.10.2013	12.00 pm	
4	Opening of Tender for :-			
	Technical Bids	08.10.2013	2.00 pm	

The tender (Technical & Financial Bids) should be delivered personally according to the schedule given above. Tenders will be short listed on the basis of Technical Bids. Financial bids shall be opened of only those tenderers who qualify in the Technical Bids.

Date :

Signature of Issuing Authority

Signature of Tenderer

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR
TENDER FORM FOR FINANCIAL BID

Tender for Photo Copying works

1. Name & Postal address of the	**M/s** ____________________
firm submitting the tender	____________________
2. Telephone Numbers	____________________
a) Registered Office	____________________
	__________
b) Head Office	____________________
	__________
c) Jaipur Office	____________________
	__________
d) Local Service centre	____________________
	__________
e) Other	____________________

3. Address to **Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur**

4. Reference Tender No. ....

5. The tender fee amounting to Rs. 400/- has been deposited vide cash receipt/ crossed postal order/Demand Draft Number____________ dated _______ payable to Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.

6. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number .... issued by the Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).

7. Photo state Machines will be installed within 10 days from the date of issue of order 4

8. The rates quoted above are valid for one year from the date of the opening of the tender. The period can be extended with mutual agreement.

Signature of Tenderer

FINANCIAL BID

RATE FOR PHOTO STAT WORK

9.

S.No.	Size of Photo Stat Paper	Rate per copy	
		Single side	Both Side
1	A-4 Size		
2	Full Size		

10. Photo State machines will be installed within 10 days from the date of issue of order.

11. The rate quoted above are valid for one year from the date of the opening of the tender. The period can be extended with mutual agreement.

12. Details of earnest money is as under :-

S. No.	Name of articles tendered	Total estimated cost	Earnest Money	DD/Challan/Cash receipt No. & Date	Name of Bank
1	Photocopying Works	15.00 Lacs	30,000/-		

13. The availability of No. of Photo state machines as on 1.04.13. Give detail, make, model.

14. Technical Evaluation schedule is enclosed at annexure "A".

15. Terms and conditions are enclosed at annexure "B".

Signature of Tenderer